राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 06 अगस्त 2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत

पोसोको कार्यालय मे दिनांक 06.08.2015 को साँय 04 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पोसोको) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमे पोसोको कार्यालय व राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य

श्री एस के सोनी, मु.कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष

श्री वी के अग्रवाल, सदस्य

श्री एम के गुप्ता, सदस्य

श्री पी के अग्रवाल, सदस्य

श्री एस आर नरसिंहन, सदस्य

श्री एस एस बड़पंड़ा, सदस्य

श्री आर पिपलोनिया, सदस्य

श्री एन नल्लारसन, सदस्य

श्रीमती शर्मिला मोडवाल, सदस्य

श्री समीर सक्सेना, सदस्य,

श्री कैलाश सैनी, नामित सदस्य आर ई सी विभाग से

श्री अनिल मेहता, नोडल अधिकारी(राजभाषा)

1.0 सर्वप्रथम श्री अनिल मेहता नोडल अधिकारी(राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया |

2.0 अध्यक्ष महोदय ने गत बैठक की समीक्षा की और कहा कि राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अगली बैठक में सभी कार्मिकों को बुलाया जाए जिससे उन्हें प्रोत्साहित करते हुए राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और राजभाषा हिन्दी के कार्यों को बढ़ाया जाए |

3.0 सभी विभाग अपने विभाग के कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाएँ जिसमें राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की एक प्रति को सुरक्षित रखें जिससे किसी भी निरीक्षण के समय उसे दिखाया जा सके जिससे कागजों की बचत भी हो सके |

4.0 मानव संसाधन प्रमुख को भी अपने विभाग का सभी कार्य राजभाषा हिन्दी में करना चाहिए क्योंकि मानव संसाधन विभाग को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए राजभाषा नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया हुआ है |

5.0 सभी विभागध्यक्षों को भी अपने अधीनस्थ कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे हम राजभाषा के वार्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यालय में किए जा रहे राजभाषा के वार्षिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें |

6.0 सामाग्री विभाग को भी निविदा जारी करने वाले पत्रों को राजभाषा हिन्दी में करना चाहिए | पी एस डी एफ विभाग को अपनी वेबसाईट द्विभाषी में जारी करने हेतु संबन्धित कार्यवाही करनी है |

7.0 संचालन विभाग को मंत्रालय में भेजी जाने वाले सभी रिपोर्ट्स के साथ लगने वाले अग्रिम पत्र को राजभाषा हिन्दी में करनी है |

8.0 आर ई सी विभाग को भी अपना सभी कार्य राजभाषा हिन्दी में करनेना चाहिए |

अवलोकानार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(अनिल मेहता)
नोडल अधिकारी (राजभाषा)
दिनांक 10 अगस्त 2015